न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 02/2014/अपील

कमला पुत्री घीसा उम्र 70 वर्ष जाति कहार नि. तालाब की ढाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलार्थीनी

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामू
2. श्यामलाल पुत्र सुरजा
3. मोहरी पुत्री सुरजा
   समस्त जाति कहार निवासीगण तालाब की ढाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच

–रेस्पोंडेटस

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 756 बाबत ग्राम रैवासा द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा दिनांक 25.07.1972

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील अपीलार्थीनी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की ओर से

निर्णय दिनांक– 31.01.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन ना.करण 756 दिनांक 25.07.1972 विरूद्ध कानून एवं विरूद्ध पत्रावली है। अपीलांट एवं रेस्पे. सं. 1 ता 3 एक ही पूर्वज घीसा पुत्र कालु कहार के वारिसान है। वंशावली निम्नलिखित है–

घीसा पुत्र कालु

↓

रामू (पुत्र)(फौत) सुरजा (पुत्र)(फौत) कमला(पुत्री)

↓ ↓

सीताराम(पुत्र) श्यामलाल (पुत्र) मोहरी(पुत्री)

अपीलांट के पिता स्व. घीसा के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि पुराना खसरा नं. 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। स्व. घीसा की मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में अपीलांट व उसके दो भाई रेस्पो. सं. 1 का पिता स्व. रामू तथा रेस्पो. सं. 2 व 3 का पिता सुरजा मौजूद थे। इसलिए कूननन घीसा घर्म से हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

अपीलाधीन ना.करण में अपीलांट का नाम भी दर्ज होना चाहिए था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा बसाजिश रेस्पो. सं. 1 ता 3 के पूर्वजों रामू व सुरजा जान बुझकर अपीलांट का नाम अपीलाधीन ना.करण में अंकित नहीं किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा भी मृतक खातेदार घीसा के समस्त वारिसों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन ना.करण स्वीकार किये जाने बाबत आज्ञा पारित कर दी गयी जो सर्वथा विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्तनीय है। अपीलांट वादग्रस्त भूमियों में से अपने 1/3 हक हिस्से पर अपने पिता स्व. घीसा की मृत्यु के दिन से ही काबिज, काश्त चली आ रही है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन ना.करण तस्दीक करने से पूर्व वादग्रस्त भूमियों के कब्जे की जांच नहीं की गई। अपीलाधीन ना.करण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति को सूचना सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अपीलाधीन ना.करण मजमा आम में तस्दीक नहीं किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बाला बाला ही तस्दीक कर दिया गया है। विद्वान ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा तस्दीक शुदा अपीलाधीन ना.करण सं. 756 दिनांक 25.07.1972 में अपीलांट पक्षकार नहीं है। परन्तु अपीलांट मृतक खातेदार स्व. घीसा की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद उसका नाम ना.करण में अंकित नहीं किया गया है। अपीलाधीन ना.करण के कायम रहने से अपीलांट के हितों पर प्रत्यक्ष रूप से कुप्रभाव पड़ रहा है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत से माननीय न्यायालय की पूर्वानुमति से पेश की जा रही है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाधीन ना. करण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था तथा अपीलांट कानून कायदों से अनभिज्ञा निरक्षर महिला है जिसके कारण उसे अपीलाधीन ना.करण के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नही हो पायी। दिनांक 20.12.13 को रेस्पो. सं. 1 ता 3 ने अपीलांट को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमियों में से अपने हिस्से की देखभाल करने गयी हुई थी तब यह धमकी दी कि इन जमीनों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरा नाम इन जमीनों की खातेदारी में अंकित नहीं है। इस पर अपीलांट द्वारा अपना नाम वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में क्यों दर्ज नहीं हुआ, इस बात की जानकारी करने का प्रयास किया तो उसे यह जानकारी हुई कि इसका नाम तो उसके पिता स्व. घीसा की विरासत के ना. करण में ही दर्ज नहीं हुआ है, इस पर दिनांक 24.12.13 को अपीलाधीन ना.करण की नकल हेतु आवेदन पेश करके दिनांक 27.12.13 को अपीलाधीन ना.करण की नकल प्राप्त की तो सर्वप्रथम अपीलांट को अपीलाधीन ना.करण के बारे में जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा तस्दीक शुदा ना.करण सं. 756 बाबत ग्राम रैवासा दिनांक 25.07.1972 निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त ना.करण में वर्णित भूमियों के 1/3 हिस्से के बाबत अपीलांट के हक में ना.करण भर कर तस्दीक किये जाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा

उप अधिकारी
दांतारामगढ़

कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह रणवां हाजिर हुए।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 3 पूर्वज घीसा पुत्र कालु कहार के वारिसान है। स्व. घीसा की मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अपीलार्थीनी व उसके दो भाई रेस्पो. सं. 1 का पिता स्व. रामू तथा रेस्पो. सं. 2 व 3 का पिता सुरजा थे। कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन ना.करण में अपीलार्थीनी का नाम दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ ग्राम पचांयत, रैवासा द्वारा मृतक खातेदार घीसा के समस्त वारिसों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन ना.करण स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थीनी मृतक खातेदार घीसा की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद उसका नाम ना.करण में अंकित नहीं कियाग या है। अपीलार्थीनी कानून कायदों से अनभिज्ञा निरक्षर महिला है जिसके कारण पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी होने से दिनांक 24.12.13 को अपीलाधीन ना.करण की नकल हेतु आवेदन पेश करके दिनांक 27.12.13 को नकल प्राप्त की तो अपीलार्थीनी को अपीलाधीन ना.करण के बारे में जानकारी हुई। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 756 दिनांक 25.07.1972 द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा खारिज फरमाया जाकर ना.करण में वर्णित भूमियों के 1/3 हिस्से के बाबत अपीलार्थीनी के हक में ना.करण भरकर तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें। इसके विपरीत वकील वकील रेस्पो. सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीनी मृतक घीसा कहार की विधिक वारिस है लेकिन विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त न होने तथा शादी होने से अन्यत्र रहने से ना.करण में इनका नाम अंकित नहीं किया गया है एवं अपील इतने विलम्ब से पेश की गई हो मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमायी जाकर विवादित ना.करण यथावत रखा जावें।

4. हमने वकील अपीलार्थीनी एवं रेस्पो.सं. 1 ता 3 के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थीनी द्वारा अपील के साथ विलम्ब को कण्डोन करने हेतु आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपति प्रस्तुत नहीं करने से आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। विवादित ना.करण सं. 756 दिनांक 25.07.1972 द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजियात ख.नं. 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम रैवासा को तस्दीक करते समय मृतक घीसा के वारिसान के सम्बन्ध में विवादित ना.करण में कोई उल्लेख अंकित नहीं किया गया है जबकि ना.करण तस्दीक करते समय मृतक के वारिसान का उल्लेख ना.करण में किया जाना चाहिए। विवादित ना.करण के सम्बन्ध में अपीलार्थीनी ने अपील मेमो में अपीलार्थीनी को मृतक घीसा कहार का विधिक वारिस बताया है जिसके सम्बन्ध में वकील रेस्पो. ने कोई आपति व्यक्त नहीं की गई है ऐसी स्थिति में यह जाहिर है कि अपीलार्थीनी मृतक घीसा की विधिक वारिस है जिसके नाम ना.करण भरा जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना.

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

करण सं. 756 दिनांक 25.07.1972 द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक धीसा के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर ना.करण पुनः दर्ज करवाकर तस्दीक करें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.01.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ